वकालत नामा

टिकट चिपकाइये

तारीख पेशी

मुकद्दमा नम्बर

सेवा में श्री .....

..... बनाम .....

दावा / जुर्म .....

मैं/हम .....

....

निवासी ..... तहसील ..... उपरोक्त मुकद्दमें में अपनी ओर से

श्री ..... को वकील

नियुक्त करता हूँ/करते हैं, उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होगें। दावा, जवाब दावा, जवाबुल जवाब, अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन, दरख्वास्त, निगरानी दरख्वास्त, नजरसानी, इजराय इस्तगासा, उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे सम्बन्धित दूसरी दरख्वास्त, मुकद्दमा अहम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरखवास्त व इकतरफा मनसुखी की दरखवास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापिस लेना, रकम जमा कराने की दरख्वास्त करना, न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकद्में को वापिस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकद्में का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी/हमारी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दीवानी के अनुसार बयान देना व मुकद्में की पैरवी एक्ट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्तदाई के डिक्री से कतई डिक्री से व अन्तरिम (दरमयानी) आज्ञा के विरूद्ध अपील निगरानी, क्रॉस ऑब्जेक्शन इत्यादि पेश करना, इसी मुख्तारनामा के आधार पर इसी न्यायालय या दूसरे न्यायालय में व इन सब पर अपने हस्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कमटेक्स, सेलटेक्स, एग्रीकल्चर इन्कमटेक्स, सेल्सटेक्स एस्टेड ड्यूटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो कर दाता स्वंय करता हैं। इसके अलावा वकील को मेरी/हमारी तरफ से सब प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जैसा कि मैं/हम खुद कर सकता हूँ /सकते हैं। आखिरी न्यायालय तक जो कुछ कार्यवाही वकील साहब करेगें सब मुझको/हमको स्वीकार होगी, जैसे कि मैनें/हमने खुद ही किये हो। इस मुकद्में की पैरोकारी के लिए रू.) अक्षरे रूपये .....
.....तय किये है जिसमें से रूपये) अदा कर दिये व रूपये) बाकी रहे सो .
..... दिन में या फैसले के पहले अदा करे दिये जायेगें। निश्चित समय पर अदा न करने पर वकील साहब मुकद्में की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेगें। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकद्में का निर्णय होने तक के लिए, चाहे निर्णय न्याय हो चाहे आपसी रजामन्दी से ही तय किया है । फैसला रजामन्दी से या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा । मुकद्मा इस न्यायालय में मुन्तकिल होगा या अपील निगरानी वगैराह में जायेगा या रिमाण्ड हो, इसके लिए इसी न्यायालय या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग देना पड़ेगा। हर पेशी पर मैं/हम या हमारा पैरोकार हाजिर रहेगा व अहम पैरवी या एकतरफा की जुम्मेवारी वकील साहब की नहीं होगी। वकील साहब की हिदायत के अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूँगा/करते रहेगें, न करने पर वकील साहब मुकद्में की पैरवी छोड़ने का हक होगा, परन्तु उस सुरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा । इस मुख्तारनामा की रूह से एक से ज्यादा वकील मुकर्रर किये जाने की सूरत में एक की ही हाजिरी काफी होगी अगर न्यायालय में मेरी/हमारी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब को बकाया मेहनताना व दीगर जो भी खर्चा वकील साहब मेरे/हमारे मुकद्में का करेगें अव्वल लेने का हक होगा । व असली कागजात व मुकद्में की फाईल बकाया रकम अदा किये बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा । इल्तुआ पेशी एकतरफा मनसुखी व दीगर फीस दरम्यानी खर्चा जो न्यायालय से दिलवाया जायेगा वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा। इसमें मेरा/हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा । फकत् तारीख माह सन्

नाम .....

हस्ताक्षर एडवोकेट

.....)

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
वकालत नामा देने वाले के